# कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा / माध्य / शालादर्पण / 60304 / वॉ–2 / 2020 / 35 दिनांक: 20.11.2020

समस्त संस्था प्रधान एवं
पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ)
राजकीय विद्यालय।

**विषयः– कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए इच्छित तृतीय भाषा के चयन बाबत्।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों से इच्छित तृतीय भाषा की जानकारी प्राप्त करने हेतु समस्त राजकीय विद्यालय, जिनमें कक्षा 6 से 8 संचालित है, के लॉगिन में विद्यार्थी टैब के अन्तर्गत "विद्यार्थी की इच्छित तृतीय भाषा का चयन करें" नाम से मॉड्यूल उपलब्ध करवाया गया है। उक्त मॉड्यूल में कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के लिए तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत / उर्दू / सिंधी / गुजराती / पंजाबी में से अध्ययन हेतु इच्छित भाषा का चयन किया जाना है। विद्यालय की कक्षा 6 से 8 में वर्तमान में तृतीय भाषा के रूप में किसी भी भाषा विषय का अध्ययन करवाया जा रहा हो, लेकिन उक्त कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों से संस्कृत / उर्दू / सिंधी / गुजराती / पंजाबी भाषा विषयों में से इच्छित भाषा विषय का चयन कर सेव किया जाना है। इच्छित तृतीय भाषा के संबंध में विद्यार्थी से लिखित सहमति लेकर अपने विद्यालय के रिकार्ड में रखेंगे जो कि ब्लॉक / जिला / राज्य स्तरीय कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत की जा सके। चूंकि वर्तमान में विद्यार्थी विद्यालय में नियमित अध्ययन हेतु उपस्थित नहीं हो रहे हैं, अतः दूरभाष / ई–मेल / व्हाट्स–अप द्वारा सूचना प्राप्त कर यथाशीघ्र अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें तथा विद्यार्थी के गृहकार्य अथवा अन्य कार्यवश विद्यालय में उपस्थित होने पर लिखित में सूचना प्राप्त करें।

अतः समस्त संस्था प्रधान एवं पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी दिनांक : 24.11.2020 तक कक्षा 6 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों की इच्छित तृतीय भाषा का चयन कर सेव किया जाना सुनिश्चित करें।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

**प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान–जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, राजस्थान।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक / प्रारम्भिक।
6. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
7. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर।
8. उपनिदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
9. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
11. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान